

यालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

318/16 पत्रावली पेश हुई वादी की ओर से कोई भी उपरोक्त नुस्खे हुका/दस्तावेजों के आवेदन लगवाई गई। वकालतनाम दि० 21.07.2014 का अवलोकन करके पर ज्ञात हुका कि वारीला की ओर से प्रस्तुत वकालतनाम के नम किसी अधिकाधिक का नाम देकर होना व हस्त हस्ताक्षर होना नहीं पाया जाता है।

अतः दावा अदम एजिरी, अदम पैरवी, अदम अधिकाधिक में रजिस्ट्रार किया जाता है। पत्रावली फेंकल सुधार होकर नम्वर से का की जावे।

उपस्थान्त अधिकारी
हिण्डौन सिटी